रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-12

REGISTERED No. D. (D.N.)-12

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 1987/पौष 25, 1908
No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 1987/PAUSA 25, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 15 जनवरी 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 3(अ) —प्रशासनिक अधिकरण अधि-नियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36 के खंड (क) तथा धारा 35 के खंड (च) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां) नियमावली, 1985 में संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां) संशोधन नियमावली 1987 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां) नियमावली 1985 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जायेगा) में (1) नियम 4 के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

"अध्यक्ष की शक्तियां —अध्यक्ष को वही शक्तियां प्रदत्त होंगी जो केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978, सामान्य वित्तीय नियमावली मूल तथा अनुपूरक नियमावली केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972 केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण) नियमावली, 1979 केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 तथा सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें) नियमावली 1960 के संबंध में प्रदत्त है:

किन्तु शर्त यह है कि वित्तीय शक्तियां का प्रयोग सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले क्रिया-विधि संबंधी अथवा अन्य प्रकार के अनुदेशों के अध्यधीन और अधिकरण के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी की सलाह प्राप्त करने के बाद होगा :

किन्तु आगे यह भी शर्त है कि जो बातें अध्यक्ष की अधिकारिता के क्षेत्र में नहीं आती है उनके संबंध में अध्यक्ष द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से वित्त मंत्रालय या किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करनी होगी।"

(2) उक्त नियमों की अनुसूची को विलोपित कर दिया जायेगा।

[सं. जी-20017/7/85-ए.टी.]

श्रीमती पी वी वत्सला जी कुट्टी, अवर सचिव

पाद टिप्पणी.—मुख्य नियम दिनांक 20-11-85 को जी.एस.आर. संख्या (ई) के साथ भारत के राजपत्र में उसी तारीख को प्रकाशित हो गये थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 15th January, 1987

NOTIFICATION

G.S.R 33(E).—In exercise of the powers conferred by section 12, clause (f) of section 35 and clause (a) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 1985, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Financial and Administrative Powers) Amendment Rules, 1987.

2. In the Cenrtal Administrative Tribunal (Financial and publication in the Official Gazette.

2 In the Central Administrative Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Powers of Chairman.—The Chairman shall have the same powers as are conferred on a Department of the Central Government in respect of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, the General Financial Rules, 1963; the Fundamental and Supplementary Rules, the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960:

Provided that the exercise of the financial powers shall be subject to any procedural or other instructions issued from time to time by the Government and after obtaining the advice of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Tribunal :

Provided further that in respect of matters not within the competence of the Chairman, concurrence of the Ministry of Finance or any other authority shall be obtained by the Chairman through the Department of Personnel and Training."

(ii) the Schedule to the said rules shall be omitted

[No. G-20017/7/85-AT]

Mrs P. V. VATSALA G. KUTTY, Under Secy

Foot Note.—The principal rules were published with G.S.R. No. 854(E) dated the 20-11-85 in the Gazette of India of the same date.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987